बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

इस पावन सदन में अपने मध्यप्रदेश का लगातार नौवॉं वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत गौरव एवं संतोष का अनुभव कर रहा हूँ। गौरव इसलिये कि मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। बीमारू की श्रेणी से निकल कर प्रगतिशील प्रदेशों की कतार में आ चुका है। देश की राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज कल्याण आदि में नये कीर्तिमान स्थापित कर सम्मानजनक स्थान पाया है। तीन वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता की कसौटी पर भी हमारी सरकार खरी उतरी है।

2. संतोष इसलिये की इन आठ वर्षों में हमारी सरकार ने प्रदेश की तसवीर भी बदली है और तकदीर भी। वर्ष 2002–03 में हमारा सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर ₹ 86,832 करोड़ था वह वर्ष 2011–12 में बढ़कर ₹ 3,01,647 करोड़ होना अनुमानित है और प्रति व्यक्ति आय भी ₹ 12,303 से बढ़कर ₹ 37,744 होना अनुमानित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक अनुमानित है। नवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9.07 प्रतिशत अनुमानित है जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। कृषि क्षेत्र की विकास वृद्धि दर नवीं पंचवर्षीय योजना में (-) 2.56 प्रतिशत थी वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर (+) 5.19 प्रतिशत होना अनुमानित है। राज्य के स्वयं के स्त्रोतों से कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2012–13 में वर्ष 2003–04 के मुकाबिले में बढ़कर 4 गुने से भी अधिक अनुमानित हैं। वर्ष 2003–04 में शुद्ध ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.18 प्रतिशत

था वह घटकर वर्ष 2011–12 में 17.77 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2003–04 में ऋणों पर ब्याज का भुगतान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 22.44 प्रतिशत था वह वर्ष 2011–12 में घटकर 8.92 प्रतिशत अनुमानित है। विगत आठ वर्षो में एक दिन भी प्रदेश को ओव्हर ड्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी है तथा लगातार आठवें वर्ष भी प्रदेश राजस्व आधिक्य बनाये रखने में सफल रहा है।

3. पिछले आठ वर्षों का सफर आरामदायक न होकर झंझावातों से भरा हुआ रहा है। छठे वेतनमान का भारी भरकम बोझ, सूखा, ओला पाला, विरासत में मिला बदहाल प्रदेश और खाली खजाना एवं उस पर दिल्ली की दूरियॉ। लेकिन यह सब गर्दिशें न होती तो मजा जीने का कुछ आता नहीं। हमारे हौसले बुलंद थे क्योंकि हम अनुप्राणित थे अटल जी की निम्न पंक्तियों से :–

पुष्प कंटकों में खिलते हैं
दीप अंधेरों में जलते हैं
आज नहीं, प्रल्हाद युगों से
पीड़ाओं में पलते हैं।

हमने तूफानों के सीने चाक कर के रख दिये।

4. मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार के सुयोग्य नेतृत्व, कुशल आर्थिक नीति एवं आयोजना, वित्तीय प्रबंधन एवं अनुशासन तथा सुशासन के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 में प्रचलित मूल्यों पर ₹ 3,36,336 करोड़ होने का अनुमान है जो वर्ष 2011–12 के ₹ 3,01,647 करोड़ से 11.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012–13 में प्रदेश का कुल व्यय ₹ 80,030 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान ₹ 65,845 करोड़ की तुलना में

21.54 प्रतिशत अधिक है। यह वर्ष 2002–03 में मात्र ₹ 17,495 करोड़ था। प्रदेश की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान ₹ 29,117 करोड़ से बढकर ₹ 35,638 करोड़ अनुमानित हैं। आयोजना व्यय वर्ष 2011–12 के अनुमान ₹ 25,578 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 31,743 करोड़ प्रावधानित है जो कि वर्ष 2011–12 की अपेक्षा 24.1 प्रतिशत अधिक है। राज्य आयोजना अंतर्गत, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य ₹ 70,329 करोड़ की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 2,01,862 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है जो 2.87 गुना है। वेतन एवं पेंशन की देनदारियों में वृद्धि एवं एरियर्स के भुगतान के बावजूद भी प्रदेश के आयोजना व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि रही है।

5. हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। कृषि में लागत कम हो, कृषि उपज के दाम अधिक मिले तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाये हैं। फलस्वरूप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इसमें और अधिक सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पृथक से कृषि केबिनेट का गठन किया है तथा बजट में भी कृषि सेक्टर को प्राथमिकता देकर उसको पृथक भाग में पहली बार दर्शाया जा रहा है। महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ग्रामोदय, सर्वोदय तथा अंत्योदय का सपना साकार करने में हमारी सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। 'आम आदमी' हमारे बजट का केन्द्र बिन्दु है।

सारी उमर पूजते रहे लोग अपने
हाथ से बने पत्थर के भगवान को
हमने भगवान के हाथ से बने इनसान को
चाहा तो गुनहगार हो गये।

भाग–एक (क)

कृषि सेक्टर

6. कृषि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमारी सरकार कृषि के विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु निरन्तर प्रयासरत रही है। परिणामस्वरूप खेती को लाभ का धंधा बनाने का हमारा संकल्प मूर्त रूप ले रहा है। वर्ष 2011–12 में कृषि क्षेत्र की विकास दर देश की औसत से लगभग दुगुनी अनुमानित है। कृषि के विकास एवं किसानों के कल्याण के प्रति हमारी प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता के मद्देनजर कृषि सेक्टर से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर समन्वित विचार एवं उन पर त्वरित निर्णय लेने हेतु कृषि केबिनेट का गठन करने वाला मध्यप्रदेश अकेला राज्य है।

7. वर्ष 2012–13 के लिए सिंचाई सुविधा के विकास हेतु कुल ₹ 3,910 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इन प्रावधानों में संरचनाओं के निर्माण हेतु ₹ 3,311 करोड़ तथा संधारण के लिए ₹ 599 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन एवं पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के कारण वर्ष 2011–12 के रबी सीजन में विगत वर्षों की तुलना में साढ़े सात लाख हेक्टेअर अतिरिक्त रकबे में सिंचाई की गई है जो कि एक कीर्तिमान है। परिणामस्वरूप इस वर्ष कृषि उत्पादन में भी रिकार्ड वृद्धि संभावित है। हमारी सरकार इस गति को वर्ष 2012–13 में भी कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

8. वर्ष 2012–13 में 2 वृहद एवं 25 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है जिनके पूर्ण होने पर 5,47,547 हेक्टेअर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

9. कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कृषकों पर आदान लागत कम करने के लिए सिंचाई हेतु ऊर्जा की खपत में राजसहायता के रूप में वर्ष 2012–13 में ₹ 1,550 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए पांच हार्सपॉवर तक के कृषि पम्पों एवं निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए राजसहायता के रूप में वर्ष 2012–13 में ₹ 375 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

11. कृषि कार्यो के लिये आठ घंटे लगातार विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिये ₹ 5,157 करोड़ की फीडर विभक्तिकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिये वर्ष 2012–13 में अनुमानित कुल निवेश ₹ 2,078 करोड़ है।

12. प्रदेश के कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर पिछले वर्ष से उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्याज दरों में अंतर की पूर्ति हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस वर्ष ऋण वितरण ₹ 10,000 करोड़ होने की संभावना है जो कि 2003–04 में मात्र ₹ 1,273 करोड़ था।

13. किसानों को उनकी उपज विक्रय पर अतिरिक्त लाभ दिलाये जाने हेतु पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेंहू उपार्जन पर ₹ 100 प्रति क्विंटल एवं धान उपार्जन पर ₹ 50 प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। इस हेतु ₹ 550 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

14. हमारे संकल्प के अनुरूप कृषकों के खाते में अनुदान का सीधा भुगतान किया जा रहा है। कृषकों के खेती की मिट्टी का परीक्षण निःशुल्क किया जा कर उन्हें 6 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य पत्रक जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2012–13 में इस योजनान्तर्गत ₹ 3.5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गेंहू एवं मक्का पर अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की सहायता से जबलपुर में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जा रही है। संस्थान को राज्य शासन द्वारा आवश्यक भूमि एवं अधोसंरचना विकास हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

15. खेती में लागत को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश की जैविक कृषि नीति को मंजूरी दी गई है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु इस वर्ष नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए ₹ 2.78 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जैविक खेती करने वाले कृषकों को राज्य एवं जिले के स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई जा रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक जिले का मेकेनाइजेशन प्लान तैयार किया जा रहा है।

16. कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक संभाग में नवीन, बीज एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के चरणबद्ध क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 2.50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के स्तर पर अग्रिम उर्वरक भंडारण योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है एवं इस हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को मक्का उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संकर मक्का की खेती का विशेष कार्यक्रम वर्ष 2011–12 में 14,660 हेक्टेअर में प्रारंभ किया गया था जिसे वर्ष 2012–13 में बढ़ाकर 50,000 हेक्टेअर किये जाने का लक्ष्य है।

18. प्रमाणित बीजों की बढ़ती हुई आवश्यकता के मद्देनजर हम सीड ग्रिड की स्थापना करने जा रहे हैं।

19. सिंचाई जल के अधिकतम सदुपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि तथा जल के अपव्यय को रोकने के प्रयोजन से राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

20. किसानों को कृषि संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से गत वर्ष प्रारंभ की गई नेशनल ई–गवर्नेंस योजना के लिए राज्यांश के रूप में वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 5.84 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

21. हमारे गांवों में कहावत है ''आधी खेती आधी बाड़ी'' । इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु हार्टीकल्चर क्लस्टर एवं हब नीति तैयार की गई है। वर्ष 2012–13 में हार्टीकल्चर हब के लिए ₹ 6.25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

22. वर्ष 2012–13 में औषधीय एवं सुंगधित फसल योजना प्रांरभ की जा रही है एवं इस हेतु ₹ 2.12 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

23. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई तकनीकी को बढावा देने तथा अधोसरंचना विकास के लिए नवीन योजनाओं; यंत्रीकरण को

बढावा देने, संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करने, एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने, फल एवं सब्जी परीक्षण केंद्र की स्थापना तथा बहुउद्देशीय विश्लेषण प्रयोगशाला की जननिजी भागीदारी मोड पर स्थापना हेतु ₹ 8 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

24. गोपाल पुरस्कार योजना की सार्थकता को देखते हुए इस योजना का विस्तार किया जाकर वर्ष 2012–13 में राज्य एवं जिले के साथ साथ विकासखंड के स्तर पर भी कियान्वित की जाना प्रस्तावित है। विकास खंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली गायों के पालकों को क्रमशः ₹ 30,000 ₹ 20,000 एवं ₹ 10,000 पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. वर्ष 2012–13 में पशुपालकों को समीपस्थ पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 40 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं 133 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालय में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 9 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. वर्ष 2012–13 में 62 आदिवासी विकासखंडों में पशुपालकों को घर पहुॅच पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के पशुपालकों को सूचना तकनीकी के माध्यम से घर बैठे पशु उपचार सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ई–वेट परियोजना कियान्वित की जायेगी।

27. वर्ष 2012–13 में भोपाल में प्रदेश की प्रथम भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला स्थापित की जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से अल्प

उत्पादन मादा पशुओं से उच्च उत्पादन वंशावली के बछड़े–बछड़ियां तैयार की जा सकेंगी।

28. वर्तमान में 15 जिलों में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का विस्तार किया जाकर वर्ष 2012–13 में 10 और जिलों में ये परियोजनायें प्रारंभ की जायेंगी। इसके लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 81 करोड का प्रावधान प्रस्तावित है।

29. कृषि उपज के उचित भंडारण को सुनिश्चित करने हेतु भंडारण के विस्तार की नवीन योजना वर्ष 2012–13 में प्रांरभ की जा रही है। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई जायेगी एवं निर्माण की कुल लागत का 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध कराई जायेगी । इसके लिए वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 2.5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही भंडारण के लिए बड़े गोदामों के निर्माण हेतु स्टेट वेअरहाउस एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को कुल ₹ 109 करोड़ की ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के गोदाम मालिकों से ''साढ़े तीन माह की किराया गारंटी योजना'' अन्तर्गत गोदाम किराये पर लिये जाने हेतु कुल ₹ 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

30. आगामी खरीफ एवं रबी सीजन में खाद वितरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु कृषकों से खाद के अग्रिम भंडारण पर ब्याज नहीं लिया जायेगा एवं सहकारी समितियों को अग्रिम भंडारण हेतु गोदाम किराया एवं पूंजी पर लगने वाले ब्याज का भार शासन वहन करेगा।

31. इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि, पशुहानि आदि के लिए सहायता राशि में डेढ़ गुने तक की वृद्धि का निर्णय लिया है।

32. अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 330 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

33. हमारी सरकार, मत्स्य पालकों के हितों के संरक्षण बाबत प्रतिबद्ध है। प्रदेश में मत्स्य पालन के लिये आयोजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 में ₹ 27 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 के प्रावधान ₹ 18 करोड़ से 50 प्रतिशत अधिक है। मछुआरों को भी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए अल्पकालीन ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। मछुआरों को मूलभूत सुविधाऐं जिसमें एक हजार आवासों के निर्माण के साथ–साथ पेयजल, सामुदायिक भवन निर्माण शामिल हैं, के लिये वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही हमने जल क्षेत्र के पट्टाधारी मछुआरों की भांति मत्स्य महासंघ के जलाशयों में कार्यरत मछुआरों को भी एक प्रतिशत ब्याज दर पर फिशरमेन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

34. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्य उद्योग के विकास हेतु वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 1 करोड़ को लगभग 6 गुना बढाया जाकर वर्ष 2012–13 में ₹ 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंच परमेश्वर योजना के साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास आदि की योजनायें जिनमें प्रमुख रूप से कृषि सेक्टर लाभान्वित होता है के लिये भी बजट में पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित हैं।

भाग–एक (ख)

ऊर्जा

36. वर्ष 2012–13 में ऊर्जा क्षेत्र अंतर्गत ₹ 7,710 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 के अनुमान ₹ 5,169 करोड़ से 49 प्रतिशत अधिक है।

37. प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष 2012–13 में राज्य की अंशपूंजी के रूप में ₹ 384 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

38. विद्युत वितरण में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए सदन द्वारा पारित संकल्प–2010 के अनुक्रम में पारेषण एवं उप–पारेषण व्यवस्था के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 1,082 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

39. अपरम्परागत ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्प 2010 के अनुक्रम में वर्ष 2012–13 में ₹ 27 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सड़क

40. प्रदेश में सड़कों का निरन्तर विकास हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। इसीलिये हमारे द्वारा सड़क अधोसंरचना के लिए बजट में लगातार वृद्धि की जाती रही है। पिछले आठ वर्षों में हमारे द्वारा प्रदेश में कुल 71,915 किलोमीटर सडकों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया है। हम अपने वित्तीय संसाधनों से सड़कों का विकास तो करते रहे हैं, साथ ही निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित कर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भी सड़कों के निर्माण का कीर्तिमान कायम किया है जो कि देश में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय साबित हो रहा है।

41. वर्ष 2012–13 में सड़कों के विकास हेतु कुल ₹ 4,694 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो कि वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 3,051 करोड़ से 53 प्रतिशत अधिक है। इन प्रावधानों में सड़को के निर्माण हेतु ₹ 3,469 करोड़ एवं संधारण के लिए ₹ 1,225 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।

42. वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 3,195 किलोमीटर लंबी सड़कों, 51 वृहद तथा मध्यम पुलों एवं 3 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही 11 जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर विश्राम भवनों एवं विश्राम गृहों का निर्माण कार्य भी वर्ष 2012–13 में प्रारंभ किया जायेगा।

43. जननिजी भागीदारी योजना अंतर्गत वर्ष 2004 से 2011 की अवधि में अभी तक ₹ 6,613 करोड़ लागत की 6,140 किलोमीटर सड़कें निर्मित की जा चुकी हैं एवं ₹ 5,720 करोड़ लागत की 3,244 किलोमीटर सड़कें निर्माणाधीन हैं।

44. ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिये हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत 9,109 ग्रामों के लिये ₹ 3,296 करोड़ की लागत से 3 वर्षो में 19,386 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

45. वर्ष 2012–13 में तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राशियों को सम्मिलित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु ₹ 6,913 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके

अन्तर्गत पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से गांवों में ₹ 1,994 करोड़ लागत के कार्य, मुख्यतः आंतरिक पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

46. ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिये इंदिरा आवास योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि अल्प होने के कारण हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन प्रारंभ किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में ₹ 97 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु शत–प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 में ₹ 29 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

47. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में 10,908 स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया है। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत 5,979 ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण एवं 82 रोजगार मेलों के माध्यम से 48,476 युवाओं को नियोजन के अवसर विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध कराये गये हैं। इस हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 136 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पेयजल

48. वर्ष 2012–13 में जल आपूर्ति के लिए कुल ₹1,449 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2012–13 में 19,290 ग्रामीण बसाहटों में नलकूप खनन एवं नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय व्यवस्था का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही शेष बचे 4,946 ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जायेंगे। पेयजल की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए फ्लोराइड आदि के कारण

गुणवत्ता प्रभावित 675 बसाहटों में वैकल्पिक स्त्रोत आधारित जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

49. वर्ष 2012–13 में हैंडपंपों के लिए कुल ₹ 178 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

शिक्षा

50. वर्ष 2012–13 में शिक्षा अंतर्गत ₹ 12,119 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि पिछले वर्ष के प्रावधान से 18 प्रतिशत अधिक है।

51. प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत शिक्षण तथा निःशुल्क साइकिल, गणवेश एवं पाठ्य सामग्री वितरण आदि योजनाओं के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 2,165 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 के प्रावधान ₹ 1,728 करोड़ से 25 प्रतिशत अधिक है। जैसा कि मैने अपने पिछले भाषण में उल्लेख किया था, हमारी सरकार अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को समग्र रूप से लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस वर्ष कमजोर एवं वंचित समूह के लगभग 3 लाख बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 की संख्या की अपेक्षा दुगुनी है।

52. बालिकाओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये परिवहन भत्ते का भी प्रावधान इस वर्ष से प्रस्तावित है।

53. पिछले पांच वर्षो में हमारी सरकार ने 2,370 नये हाईस्कूल प्रारंभ किये हैं। इस प्रकार जितने हाईस्कूल आजादी से लेकर वर्ष 2006 तक प्रारंभ किये गये थे उससे अधिक हाईस्कूल हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में खोले हैं। वर्ष 2012–13 में 100 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल एवं 340 हाईस्कूलों का हायरसेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन प्रस्तावित है।

54. हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा कोष के गठन का निर्णय लिया है। इस कोष के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹ 54,000 किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले और अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके।

55. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में संचालित 4 स्वशासी इंजीनियरिंग एवं 10 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी के क्षेत्र विशेष में सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाना प्रस्तावित है।

56. आई.टी.आई. विहीन विकास खंडों में जननिजी भागीदारी मोड में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना के साथ ही वर्तमान में संचालित 107 आई.टी.आई. का राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

57. बालाघाट जिले के लॉजी तहसील के ग्राम पालडोंगरी में आई.टी. आई. की स्थापना एवं बिरसा तथा परसवाड़ा में कौशल विकास केंद्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इससे बालाघाट जिले के युवाओं के कौशल उन्नयन के फलस्वरूप रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य

58. स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सूचकांकों में तेजी से सुधार हो रहा है। वर्ष 2012–13 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 3,596 करोड़ के प्रावधान

प्रस्तावित हैं जो कि वर्ष 2011–12 के प्रावधान ₹ 2,639 करोड़ से 36 प्रतिशत अधिक है।

59. जननी सुरक्षा योजना के परिणामस्वरूप प्रदेश में संस्थागत प्रसव 86 प्रतिशत तक पहुंच चुका है । फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के सूचकांकों में तेजी से सुधार हो रहा है। मातृ मृत्यु दर 335 से घटकर 310 पर एवं शिशु मृत्यु दर 67 से घटकर 62 पर आ गई है।

60. प्रदेश में 108 एंबूलेंस सेवाऐं संचालित की जा रही हैं। अब इस सेवा का नाम संजीवनी–108 किया जाकर इसका विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 150 अतिरिक्त एंबूलेंस संचालन की स्वीकृति दी जा रही है।

61. प्रदेश के 31 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंडों में दीनदयाल चलित अस्पताल के संचालन बाबत ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष प्रतिबद्धता का परिचायक है। साथ ही अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत प्रदेश में प्रशिक्षित चिकित्सकीय अमले की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 4 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय एवं 2 नवीन पैरा मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना की जाना प्रस्तावित है।

62. मुख्यमंत्री बालहृदय संजीवनी योजना जो कि जुलाई, 2011 से प्रारंभ की गई है, के लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

63. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्यों को इलाज बाबत् निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में

वर्ष 2011–12 में ₹ 29 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में ₹ 46 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो कि 55 प्रतिशत अधिक है।

64. प्रदेश में पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2011–12 में प्रावधानित ₹ 13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में ₹ 22 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह वृद्धि लगभग 70 प्रतिशत है।

65. आयुष चिकित्सकों के 209 पदों के सृजन की स्वीकृति दी जा रही है। साथ ही 5 जिला चिकित्सालयों, 10 आयुष औषधालय भवनों तथा 7 आयुर्वेद महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 7.80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

66. वर्ष 2012–13 में ग्वालियर, उज्जैन, रीवा एवं भोपाल के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों एवं भोपाल के होम्योपैथी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है।

67. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा जननिजी भागीदारी के माध्यम से रतलाम, सतना, सिवनी, विदिशा एवं देवास में जिला चिकित्सालयों की सुविधाओं से संबंद्ध कर पांच नये मेडिकल कालेज खोले जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।

महिला एवं बाल विकास

68. महिलाओं एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2012–13

के लिए ₹ 4,036 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो कि वर्ष 2011–12 की प्रावधानित राशि ₹ 3,175 करोड़ से 27 प्रतिशत अधिक है।

69. प्रदेश में लिंगानुपात में संतुलन कायम करने के मद्देनजर समाज में जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ करने में अगुवाई की है। इस अभियान के लिये वर्ष 2012–13 में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

70. प्रदेश में लगभग 80 लाख महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने हेतु पोषण आहार योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में ₹ 1,107 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 844 करोड़ की तुलना में 31 प्रतिशत ज्यादा है। साथ ही हमारी सरकार बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है। इस प्रयोजन हेतु अटलबिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने के लिये वर्ष 2012–13 में नवीन योजना प्रारंभ की जाकर ₹ 48 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

71. लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 650 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 439 करोड़ की तुलना में 48 प्रतिशत अधिक है।

72. आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही हमने आंगनवाड़ी भवनों के अनुरक्षण हेतु भी पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित किया है।

सामाजिक न्याय

73. विगत वर्ष की तरह ही वर्ष 2012–13 में भी अंत्योदय मेलों के लिये ₹ 15 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मेलों का आयोजन विकासखण्ड स्तर तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

74. सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत निःशक्त कल्याण, वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों के लिये सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मद्य निषेध आदि के लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 1,065 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 944 करोड़ की तुलना में ₹ 121 करोड़ अधिक है।

75. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के अनुमानों में ₹ 39 करोड़ का प्रावधान था जिसके विरूद्ध वर्ष 2012–13 में ₹ 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

76. मुस्लिम समाज के लिये मुख्यमंत्री निकाह योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 42 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2012–13 में ₹ 58 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

77. बेटी बचाओ अभियान के अनुक्रम में हम ऐसे अभिभावकों को जिनकी संतानें बेटियॉ ही हैं उन्हें पेंशन देने की नवीन योजना प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

78. वर्ष 2012–13 में वन एवं पर्यावरण के लिये ₹ 1,563 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। वन्य प्राणियों के द्वारा की जाने वाली क्षति के लिये क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर, जनहानि के मामलों में ₹ 1.25 लाख, स्थाई अपंगता के मामलों में ₹ 1 लाख तथा घायलों के इलाज हेतु ₹ 30,000/– तक की सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

79. पर्यावरण के प्रति हमारी सरकार सजग है। वनों के बाहर जनता द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिये जाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गॉव–गॉव तक पौधों के वितरण को सहज बनाने के लिये ग्राम स्तर पर वनदूत का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 35 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

80. वर्ष 2011–12 के लिये वन विभाग को शासकीय श्रेणी में पर्यावरण के प्रति उल्लेखनीय कार्य हेतु ग्रीन ग्लोब फांउडेशन अवार्ड दिया गया है।

नगरीय निकाय

81. वर्ष 2012–13 में नगरीय प्रशासन एवं विकास हेतु ₹ 4,360 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि पिछले वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 3,653 करोड़ से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।

82. नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु हमारी सरकार सजग है। इसके लिये चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त हम वर्ष 2012–13 से ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' प्रारंभ करने जा रहे हैं एवं इसके लिये ₹ 132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार

नगरों में साफ–सफाई के लिये हमारी सरकार कृत संकल्पित है एवं इसके लिये वर्ष 2012–13 से ''मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन'' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012–13 में इसके लिए ₹ 33 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

83. पेयजल एवं साफ सफाई के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हेतु अधोसंरचना विकास के लिये वर्ष 2012–13 से हमने ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके लिये ₹ 125 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

84. शहरी गरीबों एवं वंचित तबके के कल्याण एवं उत्थान के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए हाथठेला एवं साईकल रिक्शा चालकों तथा घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं के साथ ही वर्ष 2012–13 से असंगठित क्षेत्र के शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना 2012 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

85. मैंने पिछले वर्ष अपने भाषण में उल्लेख किया था कि वर्ष 2016 के सिंहस्थ के लिये हमारी सरकार ने समय रहते योजनाबद्ध तरीके से सुविधाओं एवं आवश्यक अधोसंरचनाओं के विकास के लिये आवश्यक प्रावधान रखा है, उसी अनुक्रम में वर्ष 2012–13 में सिंहस्थ 2016 के लिये ₹ 107 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

खेलकूद

86. खेलकूद के क्षेत्र में वर्ष 2012–13 में ₹ 104 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। खेलों के महत्व को देखते हुए बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है जिसके सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में परिलक्षित हो रहे हैं। वर्ष 2011–12 में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 224 पदक प्राप्त किये हैं।

87. प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कल्याण के लिये ''मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष'' की स्थापना हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पर्यटन

88. हमारे प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं एवं रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार द्वारा पर्यटन को प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा जाकर पर्यटन अधोसंरचना एवं पर्यटक सुविधाओं में सतत् वृद्धि की जा रही है। फलस्वरूप वर्ष 2011 में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिये ₹ 119 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

89. प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गो का प्राथमिकता से उन्नयन किया जा रहा है। निजी कंपनियों के माध्यम से गत वर्ष बजट भाषण में उल्लेखित स्थानों के अतिरिक्त खजुराहो एवं रीवा को भी वायुसेवा से जोड़ा गया है एवं इसके लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रावधान रखा गया है।

90. हमारी सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख धार्मिक नगरों उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, सांची, ओरछा, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, नलखेड़ा, कुण्डेश्वर, नरसिंहगढ़, बरमानघाट एवं जटाशंकर में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधायें विकसित की गयी हैं।

संस्कृति

91. यहां मैं राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियॉ उद्धृत करना चाहूंगाः–

मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जायें वीर अनेक।

इसी भावना के दृष्टिगत हमने अपने गौरवशाली इतिहास से आने वाली पीढ़ी को अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से परिचित कराने एवं संस्कारित करने के उद्देश्य से भोपाल में ''वीर भारत परिसर'' के निर्माण का निर्णय लिया है। वर्ष 2012–13 में इसके लिये भी प्रावधान प्रस्तावित है।

92. हमारी सरकार द्वारा साहित्य, संगीत एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता, श्रेष्ठ उपलब्धि एवं दीर्घ साधना को सम्मानित करने की दृष्टि से 15 राष्ट्रीय शिखर सम्मान के अंतर्गत देय सम्मान राशि को बढ़ाकर दुगुना करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य स्तरीय सम्मानों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 करने एवं सम्मान राशि ₹ 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये इस वर्ष से ''नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान'' प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

93. प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों के विकास एवं संरक्षण के लिए ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

उद्योग

94. वर्ष 2012–13 में औद्योगिक अधोसरंचना विकास के लिये वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 22 करोड़ की तुलना में 4 गुने से अधिक की वृद्धि करते हुए ₹ 97 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

95. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने एवं वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन हेतु विशेष पहल की गई है। वर्ष 2012–13 में 9 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए ₹ 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही 5 औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 10 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

96. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत औद्योगिक अधोसरंचना के विकास हेतु इस वर्ष ₹ 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

97. राज्य शासन द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र में औद्योगिक अधोसरंचना के विकास हेतु पृथक से मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, सागर के गठन का निर्णय लिया गया है जिसका कार्यक्षेत्र सागर संभाग के समस्त जिले रहेंगे।

98. हमने भारत सरकार के उपक्रम नेपा लिमिटेड, नेपानगर के पुनर्वास हेतु इकाई से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली ₹ 66 करोड़ से अधिक की राशि को अंशतः माफ करने एवं अंशतः राज्य की अंशपूंजी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

99. भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय द्वारा हथकरघा बुनकरों एवं बुनकर सहकारी समितियों के ऋणों को माफ करने तथा रीकैपिटलाइजेशन हेतु घोषित पैकेज के अंतर्गत प्रदेश की 123 वायबल बुनकर सहकारी समितियों पर बकाया ऋण राशि ₹ 5 करोड़ माफ किया जाना प्रस्तावित है जिसमें राज्य का अंश ₹ 1 करोड़ होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

100. हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं विकास के लिये बजट प्रावधानों में सतत् रूप से वृद्धि की है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उप योजना के लिए ₹ 10,350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 के प्रावधान ₹ 8,232 करोड़ की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

101. वर्ष 2012–13 में आदिवासी विकासखंडों में 40 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन एवं उन आदिवासी विकास खंडों में जहां कन्या साक्षरता प्रतिशत औसत से कम है उनमें 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर खोला जाना प्रस्तावित है। साथ ही 3 बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 2 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, 1 कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 2 कन्या प्री मैट्रिक छात्रावास 100 सीटर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार विकासखंड स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की 28 नवीन आश्रम शालाओं की स्थापना प्रस्तावित है।

102. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं सामयिक विषयों के अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिये वर्ष 2012–13 से कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु ₹ 2,000/– प्रति विद्यार्थी एवं स्नातक कक्षाओं हेतु ₹ 3,000/– प्रति विद्यार्थी विशेष प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में

इन विषयों के अध्ययन के प्रति रूचि बढ़ेगी बल्कि विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने में सहूलियत के साथ ही उन्हें सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

103. विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप कक्षा 1 से 12 वीं तक प्रत्येक कक्षा में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को स्वेटर, जूते–मोजे एवं बस्ते प्रदाय हेतु ₹ 570/– की वर्तमान अधिकतम सीमा में हमने वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2012–13 में इस प्रयोजन हेतु कक्षा 1 से 8 के लिये ₹ 600/– तथा कक्षा 9 से 12 वीं के लिये ₹ 1100/– प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी।

104. वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 3 संभागीय आवासीय विद्यालय, 119 प्री मैट्रिक छात्रावास एवं 3 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना प्रस्तावित है।

105. हमारी सरकार ने विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के कल्याण हेतु पृथक विभाग के गठन का निर्णय लिया है। इनके कल्याण के लिये आवास निर्माण समेत विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 24 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

106. पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान एवं कल्याण के लिये हमारी सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इन वर्गो के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 548 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

107. अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल एवं इंदौर में हज हाउस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

108. अल्पसंख्यक वर्ग के युवक एवं युवतियों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 2 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

कानून व्यवस्था

109. प्रदेश के विकास के लिये बेहतर कानून व्यवस्था के महत्व को देखते हुए पुलिस बल के लिये वर्ष 2012–13 में ₹ 2,893 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2011–12 में प्रावधानित राशि ₹ 2,472 करोड़ की तुलना में ₹ 421 करोड़ अधिक है।

110. पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिये नवीन स्वीकृत 6,255 पदों पर भर्ती की कार्यवाही वर्ष 2012–13 में पूर्ण की जाना प्रस्तावित है।

111. पुलिस कर्मियों को आवास गृह उपलब्ध कराने हेतु हमने चरणबद्ध रूप से 10,000 आवासगृहों के निर्माण की योजना बनाई है। प्रथम चरण में हुडको के माध्यम से ऋण प्राप्त कर 2,500 आवास गृहों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कुल लागत ₹ 223 करोड़ के राज्यांश के रूप में वर्ष 2012–13 में ₹ 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

112. बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, एवं ग्वालियर में न केवल सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था प्रारंभ की है

अपितु इन शहरों में यातायात प्रबंधन एवं डेटा सेंटर की स्थापना हेतु वर्ष 2012–13 में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किये हैं।

113. हमने विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों, निजी संस्थानों, अर्द्ध शासकीय संगठनों, बैंकों आदि की सुरक्षा हेतु राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया है।

114. जबलपुर में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2012–13 में ₹ 1.70 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है।

प्रशासनिक सुधार

115. हमारी सरकार अच्छा कार्य करने वालों को सतत् रूप से प्रोत्साहित करने में विश्वास रखती है, इसी के मद्देनजर हमने इस वर्ष से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के साथ–साथ मंत्रालय, विभाग, संभाग एवं जिला स्तर पर अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ''सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार'' प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय कार्यपालिक, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रदाय किये जायेंगे। इसके लिए वर्ष 2012–13 में ₹ 1.72 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

116. मैदानी स्तर पर कार्यो की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने विभिन्न मदों में पुनर्विनियोजन के अधिकार विभागों एवं विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारियों को देने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2012–13 से सरकार के मुख्य विभागों के अंतर्गत वित्तीय सलाहकार प्रणाली लागू की जावे।

इसे लागू करने पर विभागों के द्वारा वित्तीय निर्णय तुरंत लिये जा सकेंगे तथा कार्य की गति में अपेक्षाकृत तेजी आयेगी।

117. योजना मदों में त्रैमासिक बजट आवंटन की व्यवस्था के अन्तर्गत आगामी त्रैमासों में प्रावधानित राशि को पूर्व के त्रैमासों में व्यय करने हेतु विभागों को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। इसके फलस्वरूप राज्य के आयोजना व्यय में सुधार परिलक्षित होगा।

118. इस सदन के द्वारा पारित संकल्प 2010 के अनुपालन में हमारी सरकार के द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹ 149 करोड़ लागत की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू की जायेगी। इस व्यवस्था से ऑन लाईन भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाना संभव हो सकेगा। इसके साथ ही सरकार के लेखे बिना त्रुटियों के तुरंत तैयार किये जा सकेंगे।

कर्मचारी कल्याण

119. हमारी सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हितों की रक्षा हेतु दृढ़संकल्पित है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल, 2012 से राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की एक और किस्त दी जाकर 7 प्रतिशत की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से राज्य सरकार पर ₹ 1,057 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार अनुमानित है। इसका समानुपातिक लाभ पंचायत सचिवों एवं अध्यापक संवर्गों को भी प्राप्त होगा। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस निर्णय से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा दिये जा रहे मंहगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत का अंतर समाप्त हो जायेगा एवं कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही मांग की पूर्ति हो सकेगी।

120. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि निगमों एवं मंडलों के ऐसे कर्मचारी जो राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं तथा जिन्हें चौथा एवं पांचवा वेतनमान प्राप्त हो रहा है को भी मूल वेतन का क्रमशः 560 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाये।

121. हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं पुलिस पदक से सम्मानित सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पेंशनरों को समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं पुनरीक्षित दरों के अनुसार पदक भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी जावे। इस निर्णय के फलस्वरूप राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पेंशनरों को ₹1,500/– प्रतिमाह और पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पेंशनरों को ₹ 900/– प्रतिमाह पदक भत्ते का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

122. महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदा अनुदेशक एवं अन्य प्रशिक्षक तथा संगतकारों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप इन्हें क्रमशः ₹ 7,800/– प्रतिमाह एवं ₹ 4,700/– प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होने लगेगा।

123. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत रेडियोग्राफर, लेबटेक्नीशियन, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2, ड्रेसर ग्रेड–2 एवं फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के संविदा मानदेय बढ़ाकर क्रमशः ₹ 8,000/–, ₹ 9,000/–, ₹ 9,000/–, ₹ 7,500/–, ₹ 7,500/– एवं ₹ 9,000/– प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है।

124. जिला एवं जनपद पंचायत में कार्यरत पंचायत कर्मियों की लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए हमारी सरकार ने उनके

लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष ₹ 2 करोड़ का व्यय भार आना संभावित है।

125. होमगार्ड के जवानों को देय मानदेय एवं भोजन राशि को हमने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप वर्तमान में जवानों को देय मानदेय एवं भोजन राशि ₹ 150/– प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹ 190/– प्रतिदिन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप अन्य रैंकों को देय राशियों में भी वृद्धि होगी।

पुनरीक्षित अनुमान 2011–12

126. वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 63,535 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 55,744 करोड़ है। आयोजनेत्तर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 53,314 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 27,323 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 7,791 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 7,930 करोड़ है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.63 प्रतिशत होने से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित सीमा से कम है।

बजट अनुमान 2012–13

राजस्व प्राप्तियां

127. वर्ष 2012–13 में कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 69,913 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य करों से प्राप्तियां ₹ 28,311 करोड़, करेत्तर राजस्व से प्राप्तियां ₹ 7,326 करोड़, केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 21,604 करोड़ तथा केंद्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 12,670 करोड़ अनुमानित है।

128. केंद्र से राज्य को संचित निधि के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सहायता के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को सीधे लगभग ₹ 12,067 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध होना अनुमानित है। यह धनराशि लोक वित्त का अंश है। परंतु राज्य के शासकीय लेखे का भाग नहीं है।

आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय

129. वर्ष 2012–13 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान ₹ 31,743 करोड़ है जिसमें राज्य आयोजना अंतर्गत ₹ 27,062 करोड़ का प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत ₹ 6,109 करोड़ एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए ₹ 4,241 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित आयोजना व्यय कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत है। आयोजनान्तर्गत पूंजीगत परिव्यय ₹ 12,797 करोड़ प्रस्तावित है। आयोजनेत्तर व्यय का अनुमान ₹ 48,287 करोड़ है।

130. मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2003–04 में जहां वेतन एवं पेंशन पर कुल ₹ 5,968 करोड़ का व्यय हुआ था, वहीं वर्ष 2012–13 में इन मदों में कुल ₹ 24,880 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

131. बेहतर ऋण प्रबंधन के परिणाम स्वरूप कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य के ब्याज भुगतान के दायित्वों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2012–13 में कुल ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियों का 8.98 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

शुद्ध लेनदेन

132. वर्ष 2012–13 की कुल प्राप्तियां ₹ 80,000.24 करोड़ तथा कुल व्यय ₹ 80,030.98 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन–देन, ऋणात्मक ₹ 30.74 करोड़ एवं अंतिम शेष, ऋणात्मक ₹ 107.19 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

133. कुल राजस्व व्यय ₹ 63,543 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 69,913 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य ₹ 6,370 करोड़ अनुमानित है।

इस प्रकार राजस्व आधिक्य की स्थिति निरन्तर रहने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹ 10,017 करोड़ है यह राज्य के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।

मौजों के थपेड़ों से डरकर
जो साहिल पर रूक जाते हैं।
वो लोग कहां कश्ती अपनी
तूफॉ में उतारा करते हैं।।

भाग –दो

अध्यक्ष महोदय,

कर प्रशासन

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कर प्रशासन को करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाते हुए उसके पालन में सुधार लाकर कर संग्रहण में सुधार किया जा सकता है। हमें खुशी है कि हमारे करदाताओं ने इस विश्वास को सही सिद्ध किया है। इस वर्ष हमने व्यवसायिक तथा औद्योगिक संगठनों से इन्टरनेट से भी सुझाव आमन्त्रित किये हैं तथा उनके प्रतिनिधियों से परामर्श भी किया है। प्राप्त सुझावों तथा परामर्श पर विचार करने के उपरान्त कराधान तथा कर प्रशासन सम्बंधी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

2. वेट प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण कर इसे अधिक पारदर्शी तथा व्यवसाईयों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। व्यवसाईयों का पंजीयन, उन्हें वैधानिक प्रपत्रों का प्रदाय तथा उनके द्वारा विवरणी का प्रस्तुतीकरण ऑन लाईन किया जा चुका है। अन्य राज्यों से माल मंगवाने वाले व्यवसायी अब विभाग के वेबपोर्टल से सी फार्म डाउनलोड कर संव्यवहार की जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। शीघ्र ही विभागीय वेबपोर्टल के माध्यम से कर के भुगतान तथा वापसी की सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी। साथ ही ई, एफ तथा एच फार्म डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी।

3. प्रदेश में वेट अधिनियम के तहत लगभग 2,40,000 पंजीकृत व्यवसायी हैं। स्वकर निर्धारण की सुविधा का लाभ ₹ 60 लाख तक टर्नओवर वाले 90 प्रतिशत से अधिक व्यवसाईयों द्वारा लिया जा रहा है।

4. प्रदेश में ₹ 20 लाख तक वार्षिक विक्रय या ₹ 10 हजार वार्षिक कर देयता वाले व्यवसाईयों से केवल वार्षिक विवरणी की अपेक्षा है। अब यह सुविधा कम्पोजिशन का विकल्प लेने वाले व्यवसाई, जिनका ₹ 60 लाख तक वार्षिक विक्रय है या जिनकी ₹ 30 हजार तक वार्षिक कम्पोजिशन राशि है, को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

5. व्यवसाईयों द्वारा पंजीयन आवेदन का ऑन लाईन प्रस्तुती को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर पंजीयन शुल्क ₹ 500/– से मुक्ति दी जाना प्रस्तावित है। पंजीयन आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने पर पंजीयन शुल्क बढ़ाकर ₹ 1000/– करना प्रस्तावित है।

6. आई.टी.आर. के आधिक्य को कर के साथ साथ ब्याज व शास्ति में समायोजन की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है।

7. ₹ 40 हजार से अधिक के क्रयों का भुगतान क्रॉस्ड चैक के साथ साथ बैक ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर एवं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किए जाने पर भी आई.टी.आर. की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है।

8. परिवहन के दौरान जांच से संबंधित प्रकरणों में परिवहनकर्ता द्वारा व्यवसाई को अधिकृत किए जाने पर व्यवसाई के व्यवसाय स्थल से संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है। साथ ही परिवहन के दौरान जांच से संबंधित प्रकरणों में

शास्ति आरोपण के पश्चात भी नगद प्रतिभूति या बैंक ग्यारंटी के आधार पर जप्त माल छोड़ने की तथा प्रस्तुत प्रतिभूति का नकदीकरण प्रथम अपील के निर्णय के पश्चात ही किए जाने की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है।

9. अपील बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील में शेष बकाया का स्थगन अपील निर्णय तक किए जाने की व्यवस्था की जाना तथा अपील प्रकरणों में एकपक्षीय निर्णय होने की स्थिति में पुनः सुनवाई की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

<u>वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी)</u>

10. जी.एस.टी. प्रणाली के लिये आवश्यक उपबंध करने हेतु केन्द्र सरकार ने एक सौ पन्द्रहवां संविधान (संशोधन) विधेयक, जनवरी, 2011 में लोकसभा में पुरःस्थापित किया है जो संसद की वित्तीय मामलों की स्थाई समिति के समक्ष विचाराधीन है। मैंने पिछले बजट भाषण में इस प्रणाली के लिये प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था तथा कर ढांचे पर राज्य सरकार की आशंकाओं से इस सदन को अवगत कराया था।

11. राज्य वित्त मंत्रियों का एक दल जी.एस.टी. प्रणाली के अध्ययन हेतु सितम्बर, 2011 में चार यूरोपीय देशों के भ्रमण पर गया था जहां इसे अभी भी वेट कहा जाता है। यूरोपीय संघ के वेट कानूनों में समरूपता है परन्तु कर ढांचे के महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लेने के लिये सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र हैं। यह उल्लेखनीय है कि एक सौ पन्द्रहवें संविधान (संशोधन) विधेयक अनुसार ऐसे निर्णय लेने हेतु राज्य सक्षम नहीं होंगे। यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों में वेट की सामान्यतः त्रिस्तरीय दरे हैं,

आवश्यक वस्तुएं या तो कर मुक्त हैं अथवा कम दर पर करयोग्य हैं। वस्तुओं को किस दर सूची में रखना है, यह निर्णय लेने के लिए सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों की भी यही मांग रही है कि जी.एस.टी. में भी इसी तरह का कर ढांचा रखा जाय।

12. संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रवृष्टि क्रमांक 97 अंतर्गत ''अवशिष्ट'' विषयों पर केन्द्र सरकार को प्राप्त कराधान के अधिकार के तहत वर्ष 1994 में सेवा कर अधिरोपण प्रारंभ किया गया था। सेवा क्षेत्र की गतिविधयों पर केन्द्र द्वारा अधिरोपित कर के संग्रहण हेतु राज्यों को अधिकृत करने के लिये अठ्ठासीवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 अधिनियमित है परन्तु केन्द्र सरकार ने इसे अभी तक प्रभावशील नहीं किया है। राज्यों को सेवा कर संग्रहण हेतु अधिकृत करके यूरोपीय संघ के समान व्यवस्था हमारे देश में भी लागू की जा सकती है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह भी किया गया है।

13. सेवा क्षेत्र की अनेक गतिविधियां राज्यों के कराधान संबंधी क्षेत्राधिकार में हैं। परन्तु ऐसी अनेक गतिविधियों पर केन्द्र सरकार सेवा कर अधिरोपण कर रही है, जिन पर पहले से मनोरंजन कर, विलासिता कर तथा राज्य वेट अधिरोपित हैं।

14. सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के अनुसार ''भूमि तथा भवन पर करारोपण'' राज्य का विषय है। इस प्रविष्टि की विषयवस्तु के अंतर्गत भवन से संबंधित सभी घटनाओं पर करारोपण का अधिकार राज्यों में वैष्ठित है, चाहे वह घटना ''भवन निर्माण'' हो अथवा ''भवन

विक्रय या किराए पर देना''। भवन से संबंधित किसी भी घटना पर अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत केन्द्र द्वारा करारोपण नहीं किया जा सकता है, परन्तु भवन निर्माण एवं भवन किराए पर भी सेवा कर अधिरोपित है। वर्ष 2011–12 से तो होटल तथा रेस्तरॉ पर भी केन्द्र सरकार द्वारा सेवा कर अधिरोपित किया गया है।

15. केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित किया है कि चिन्हांकित सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर सेवाकर अधिरोपित किया जाय। इस प्रस्ताव पर राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने विचार किया है। राज्यों में यह आम सहमति है कि राज्य सूची की प्रविष्टि क्रमांक 54, 55, 56 तथा 62 के अनुसार सेवा क्षेत्र की जिन गतिविधियों पर राज्य सरकारों को करारोपण के अधिकार प्राप्त हैं, उन पर केन्द्र द्वारा सेवा कर का अधिरोपण असंवैधानिक है। राज्यों ने केन्द्र से मांग की है कि इस असंवैधानिक करारोपण को बन्द किया जाय।

16. राज्यों के कराधान संबंधी क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण कर सेवा कर अधिरोपण की इस प्रवृत्ति से हमारी इस आशंका को बल मिलता है कि प्रस्तावित जी.एस.टी. प्रणाली अंतर्गत उपलब्ध कराधार और राज्यों को वर्तमान में उपलब्ध कराधार में अंतर अत्यंत सीमित है। जी.एस.टी. प्रणाली अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त कराधार का जो आंकलन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था, वह अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण प्रमाणित हो रहा है।

केन्द्रीय विक्रय कर

17. केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति का वादा केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले एकपक्षीय निर्णय लेते हुए उसके द्वारा क्षतिपूर्ति के मानदण्डों को संशोधित कर राज्यों को आंशिक क्षतिपूर्ति ही दी गई तथा अब वर्ष 2011–12 से क्षतिपूर्ति देने से ही मना कर दिया गया है।

वेट

18. वर्ष 2010–11 में केन्द्रीय विक्रय कर मद के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 629 करोड़ होने से, कर की दर में कमी के कारण वर्ष 2012–13 के लिए हानि लगभग ₹ 800 करोड़ अनुमानित है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को परामर्श दिया गया है कि सी.एस.टी. मद में राजस्व हानि की भरपाई बीड़ी, कपड़ा व शक्कर पर वैट अधिरोपण से की जाय। केन्द्र सरकार ने इसके लिए इन वस्तुओं पर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर दिया है। राजस्व हानि की अत्यंत सीमित भरपाई ही बीड़ी पर वेट से हुई है। राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति में यह आम राय बनी है कि कपड़े तथा शक्कर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त हो जाने से इन वस्तुओं पर राज्य वेट अधिरोपित करें। केन्द्र सरकार तथा राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय विक्रय कर मद में राजस्व हानि की आंशिक भरपाई के लिए कपड़ा और शक्कर पर 5 प्रतिशत की दर से वेट अधिरोपित करना

प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2012–13 में ₹ 150 करोड़ अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

19. रोजगार निर्माण की दृष्टि से बीड़ी उद्योग का प्रदेश में प्रमुख स्थान है। वर्तमान में तेन्दूपत्ता पर 25.30 प्रतिशत की दर से तथा बीड़ी पर 5 प्रतिशत की दर से वेट देय है परन्तु बीडी निर्माण में प्रयुक्त तेन्दू पत्ता पर चुकाए गए वेट के लिए बीड़ी पर देय वेट में आई.टी.आर. की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के बीड़ी उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये तेन्दू पत्ता पर चुकाए गए वेट के लिए आई.टी.आर. की सुविधा देते हुए बीड़ी पर वेट की दर 5 प्रतिशत के स्थान पर 13 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। तेन्दू पत्ते पर वेट दर का युक्तियुक्तकरण करते हुए 25 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इन परिवर्तनों से राजस्व प्राप्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20. प्रदेश में उत्पादित इमारती लकड़ी उच्च गुणवत्ता की होती है। प्रदेश में ही फर्नीचर निर्माण में इस लकड़ी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए टिम्बर पर आई.टी.आर. की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है।

21. निर्माण सामग्री पर देय वेट के कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु पिछले वर्ष के बजट प्रस्ताव अंतर्गत भवन निर्माण व्यवसाय को वेट प्रणाली के दायरे में लाया गया है। इसके अपेक्षित लाभ हुए हैं। इस व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत यह प्रस्तावित है कि भवन निर्माताओं को ऐसे माल के मूल्य को, जिस पर आई.टी.आर. नहीं मिलता है, पूंजीगत मूल्य में से कम किया जाए तथा मूल्य विनिश्चयन में भूमि के

मूल्य की कटौती हेतु जमीन के मूल्य का निर्धारण कलेक्टर गाईडलाइन के आधार पर किया जाए।

22. सागर जिले की बीना तहसील में पेट्रोलियम रिफायनरी की स्थापना हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना के लिये स्वीकृत विशेष सहायता पैकेज के अंतर्गत संयत्र से उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थों के विक्रय से प्राप्त वेट के विरूद्ध उदार शर्तों पर ऋण की व्यवस्था है, परन्तु पेट्रोलियम क्षेत्र में मूल्य निर्धारण की वर्तमान पद्धति के कारण सहायता पैकेज के क्रियान्वयन में कठिनाई अनुभव की जा रही है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रस्तावित है कि पेट्रोल तथा डीजल पर अन्य वस्तुओं की तरह ''मल्टीस्टेज वेट' अधिरोपित किया जाय। नेचुरल गैस के विक्रय पर भी मल्टीस्टेज वैट की व्यवस्था लागू की जाना प्रस्तावित है।

23. लगभग आठ वर्ष पहले जब हमें राज्य की जिम्मेदारी मिली थी, तब डीजल तथा पेट्रोल पर वाणिज्यिक कर 28.75 प्रतिशत थी। डीजल पर कर की दर हमने क्रमिक रूप से कम की है तथा अब यह 23 प्रतिशत है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। आम जनता को राहत देने के लिये पेट्रोल पर वेट की दर घटाकर 27 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

24. नागरिक उड्डयन सेवा की आपरेटिंग कास्ट का लगभग 40 प्रतिशत व्यय ए. टी. एफ. पर होता है, जिस पर वर्तमान में वेट की दर 28.75 प्रतिशत है। प्रदेश में उड्डयन सेवाओं के विस्तार के लिए प्रस्तावित है कि इन्दौर तथा भोपाल के हवाई अड्डों पर बिकने वाले ए.

टी.एफ. पर वेट की दर घटाकर 23 प्रतिशत तथा अन्य हवाई अड्डों पर 13 प्रतिशत की जाय।

25. पेट्रोल एवं ए.टी.एफ. पर देय वेट की दर कम करने तथा पेट्रोल एवं डीजल पर मल्टीस्टेज वेट लगाने से वर्ष 2012–13 में लगभग ₹ 50 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

26. विद्युत उत्पादन एवं वितरण वेट प्रणाली के दायरे के बाहर हैं। इससे विद्युत उत्पादन इकाईयों में स्थापित होने वाले संयत्रों पर 4 प्रतिशत की प्रभावी दर से वेट देय है। विद्युत उत्पादन संयत्र पूंजी प्रधान (capital intensive) होते हैं। अतः विद्युत संयत्रों पर प्रारंभ में ही वेट देय होने से इस क्षेत्र में पूंजीनिवेश प्रभावित होता है। वितरण प्रणाली में उपयोग होने वाले विद्युत के खम्भों तथा ट्रान्सफॉर्मर पर भी 4 प्रतिशत की प्रभावी दर से वेट देय है। अन्य राज्यों से खम्भे तथा ट्रान्सफॉर्मर खरीदने पर सी.एस.टी. मात्र 2 प्रतिशत की दर से देय होने से विद्युत खम्भों तथा ट्रान्सफॉर्मर के स्थानीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः यह प्रस्तावित है कि विद्युत उत्पादन एवं वितरण में लगने वाले प्लान्ट, मशीनरी, इक्विपमेन्ट्स एवं उनके पुर्जों को वेट देयता से मुक्त रखा जाय तथा विद्युत उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को वेट के दायरे में ला कर विद्युत पर 5 प्रतिशत की दर से वेट अधिरोपित किया जाय। कोयला सहित अन्य सभी कच्चे माल पर आई. टी.आर. देय होगा। इससे वर्ष 2012–13 में लगभग ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं।

27. वस्तुओं के परिवहन के लिए प्राप्त प्रतिफल कभी तो वस्तुओं के क्रय–विक्रय मूल्य में शामिल किया जाता है और कभी इसे कर दायित्व कम करने के लिए क्रय–विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रस्तावित है कि सड़क मार्ग से परिवहन होने पर सीमेन्ट तथा तेन्दू पत्ता पर वेट की दर से अतिरिक्त करारोपण किया जाय। यदि उक्त वस्तुओं के विक्रय मूल्य में परिवहन का प्रतिफल शामिल होगा तो उसके विक्रय पर देय वेट के विरूद्ध परिवहन पर देय कर का पूरा रिबेट उपलब्ध होगा। इससे वर्ष 2012–13 में लगभग ₹ 10 करोड़ अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

28. वेट की दरों के युक्तियुक्तकरण के क्रम को जारी रखते हुए व्यवसायिक संगठनों तथा आम जनता को राहत प्रदान करने के लिये निम्न वस्तुओं को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है :–

(1) ड्रिप सिंचाई में उपयोग किये जाने वाले पाईप

(2) प्लास्टिक से बने घमेला, तसला, तगाड़ी

29. निम्न वस्तुओं पर वेट की दर 13 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है :–

(1) खाखरा

(2) खसखस

(3) सभी प्रकार के सी.एफ.एल./एल.ई.डी. बल्ब तथा ट्यूब

(4) पी.सी.सी. पोल्स

(5) एडल्ट डायपर एवं सेनिटरी नैपकिन

(6) फोटोग्राफी पेपर

(7) एल्यूमिनियम सर्कल्स एवं शीट्स

30. तिलहन तथा खाद्य तेलों एवं उसके सह उत्पादों पर देय वेट की व्यवस्था का पिछले वर्ष युक्तियुक्तकरण किया गया था। अब सोया डी. ओ.सी. के समान कपास्या (सरकी) खली के निर्माण में लगने वाले माल पर पूर्ण रिबेट देने की सुविधा तथा सोयाबीन, सरसों एवं कॉटन के समान तिली के संबंध में स्त्रोत पर वैट कटौती की सुविधा दी जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रवेश कर</u>

31. वर्ष 2010–11 के बजट प्रस्ताव में राज्यों के उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये कतिपय उद्योगों को प्रवेश कर से छूट दी गई थी। इस छूट को अगले वर्ष भी निरन्तर रखना प्रस्तावित है। इसी अनुक्रम में प्रदेश के इंजीनियरिंग उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये मेन्यूफैक्चरिंग उद्योग में खपत होने वाले मेटल कास्टिंग, फेरस तथा नॉन फेरस मेटल एवं एलॉय, आयरन एवं स्टील को प्रवेश कर से मुक्त रखना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2012–13 में लगभग ₹ 50 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

32. वर्ष 2010–11 में प्रवेश कर के कर–ढांचे का युक्तियुक्तकरण किया गया था। कर सुधारों के इस अनुक्रम में प्रवेश कर के कर ढांचे को वेट के कर ढांचे के समरूप करना प्रस्तावित है। प्रवेश कर का कर ढांचा अब निम्नानुसार होगाः–

(क) मध्य प्रदेश वेट अधिनियम की अनुसूची–I तथा अनुसूची–II, भाग–I, में उल्लिखित वस्तुएं प्रवेश कर के अंतर्गत भी कर मुक्त होंगी,

(ख) वेट अधिनियम की अनुसूची–I भाग–II में उल्लिखित वस्तुओं पर प्रवेश कर की दर एक प्रतिशत होगी, परन्तु कॉटन एवं कॉटन वेस्ट, यार्न कर मुक्त होंगे तथा लोहा एवं स्टील, कोयला, एल.पी.जी. पर देय प्रवेश शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा,

(ग) वेट अधिनियम की अनुसूची–I भाग–III, तथा भाग–IV में उल्लिखित वस्तुओं पर देय प्रवेश कर की दर दो प्रतिशत होगी, परन्तु पेट्रोल, डीजल, पान मसाला, गुटका, सिगरेट तथा बीड़ी पर देय प्रवेश कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण से वर्ष 2012–13 में लगभग ₹ 50 करोड़ अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

मनोरंजन कर

33. पिछले वर्ष के बजट प्रस्ताव अंतर्गत पुराने सिनेमा घरों को संरक्षण देने के लिये सिनेमा घरों में ₹ 30/– तक के प्रवेश शुल्क की स्थिति में मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है। इस वर्ष ₹ 50/– की अधिकतम सीमा तक प्रवेश शुल्क की स्थिति में मनोरंजन कर से छूट प्रस्तावित है, यदि सिनेमा घर 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व से संचालित है तथा वातानुकूलित नहीं है।

34. कर प्रशासन के संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा छोटे व्यवसाईयों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, 2002 तथा मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 के तहत करदायित्व की न्यूनतम सीमा ₹ 5 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹ 10 लाख प्रति वर्ष करना प्रस्तावित है। वेट अधिनियम के अंतर्गत राज्य के बाहर से आयात करने वाले व्यवसाईयों एवं उद्यमियों के लिए कर दायित्व की सीमा यथावत ₹ 5 लाख रहेगी। इससे वर्ष 2012–13 में ₹ 10 करोड़ राजस्व हानि अनुमानित है।

वृत्ति कर

35. अल्प वेतनभोगियों को राहत देने के लिए वृत्ति कर में छूट की सीमा ₹ 1,20,000/– से बढ़ाकर ₹ 1,50,000/– करना प्रस्तावित है। ₹ 10 लाख प्रति वर्ष के टर्नओवर तक के छोटे व्यवसाईयों एवं उद्यमियों को भी वृत्ति कर से छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2012–13 में ₹ 15 करोड़ राजस्व हानि अनुमानित है।

मुद्रांक शुल्क

36 लघु उद्योंगों को राहत देने के लिये ₹ 10 करोड़ तक के ऋण से सम्बंधित सामयिक बन्धक के दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क तथा पंचायत शुल्क की कुल दर 0.5 से घटाकर कर 0.25 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इसका लाभ आवास ऋण से संबंधित सामयिक बन्धक के दस्तावेजों पर भी उपलब्ध होगा।

37. विद्यार्थियों को राहत देने के लिए शिक्षा ऋण संबंधी प्रतिभूति के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क की दर 0.5 प्रतिशत से घटाकर प्रति दस्तावेज ₹ 100/– करना प्रस्तावित है।

38. आवासीय कालोनी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि विकास संबंधी अनुबंध–पत्र पर देय मुद्रांक शुल्क की दर 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

39. न्यायिक रहन के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक हजार रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रतिभूति रकम के 0.5 प्रतिशत की दर से देय है, परन्तु ऋण चुकाने के पश्चात् बंधक ग्रहिता द्वारा निष्पादित प्रतिहस्तांतरण विलेख पर 0.8 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देय होने से इस दस्तावेज का निष्पादन व्यवहारिक नहीं है। इसे व्यवहारिक बनाने हेतु इस पर देय पंजीयन शुल्क की दर अधिकतम ₹ 1,000/– निश्चित किया जाना प्रस्तावित है।

40. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा पंचायत शुल्क की दरों में प्रस्तावित कमी से वर्ष 2012–13 में लगभग ₹ 20 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है।

'सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय' के मंत्र को आधार मानकर यह बजट इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित है। कृषि, ग्रामोदय और अंत्योदय को प्राथमिकता देते हुए विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य के साथ।

हमारे आमंत्रण पर जिन मित्रों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उनका आभार।

संकल्पों से बंधे हुए हम, नींद न आती सेज पर
हरदम पॉव पड़े रहते हैं, तपती नंगी रेत पर
गूंगों को भाषा देंगे हम, देंगे गति निर्माण को
फुरसत कहॉ अभी हम, पूजें मंदिर में भगवान को।

''पथिक''

अपने इस बजट भाषण का समापन प्रदेश के सुप्रसिद्ध कवि डा. शिवमंगल सिंह 'सुमन' की निम्न प्रेरणादायी पंक्तिओं से कर रहा हूँ:–

इस पथ का उद्देश्य नहीं है, श्रांति भवन में टिक रहना
किंतु पहुॅचना उस सीमा पर, जिसके आगे राह नहीं।

जय भारत – जय मध्यप्रदेश